भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3376
दिनांक 20 मार्च, 2025

उज्ज्वला योजना के कनेक्शन बंद करना

†3376. श्रीमती माला राय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बंद किए गए 'उज्ज्वला योजना' कनेक्शनों की संख्या का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

पूरे देश में गरीब परिवारों की व्यस्क महिला के नाम से बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन जारी करने के उद्देश्य से मई, 2016 को प्रधान मंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत की गई थी। 8 करोड़ कनेक्शनों को जारी करने के लक्ष्य को सितंबर, 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को कवर करने के लिए, उज्जवला 2.0 को अगस्त, 2021 में 1 करोड अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ शुरु किया गया था, जिसे जनवरी, 2022 में हासिल कर लिया गया था। तत्पश्चात, सरकार ने उज्जवला 2.0 के तहत 60 लाख और एलपीजी कनेक्शन जारी करने का फैसला किया और दिसंबर, 2022 के दौरान 1.60 करोड उज्जवला 2.0 कनेक्शन का लक्ष्य भी हासिल कर लिया गया। इसके अलावा, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमयूवाई योजना के तहत अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने को मंजूरी दी, जो जुलाई, 2024 के दौरान पहले ही हासिल कर लिया गया है। दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार, पूरे देश में 10.33 करोड पीएमयूवाई कनेक्शन उपलब्ध है।

एक बार जारी किए गए पीएमयूवाई कनेक्शन स्वैच्छिक रुप से छोड़े जाने बाद में डी-डुप्लीकेशन के दौरान समाप्त किए जाने, अयोग्यता के बारे में गलत घोषणा का पता लगाना, बाद में अयोग्यता के कारण हटाए जाने आदि जैसे कारणों से बंद किए जा सकते हैं।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बंद/समाप्त किए गए "उज्ज्वला योजना" कनेक्शनों की संख्या के वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरें **अनुलग्नक** में दिए गए है।

****

अनुलग्नक

"उज्जवला योजना के कनेक्शन बंद करना" के संबंध में श्रीमती माला राय द्वारा दिनांक 20.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3376 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमयूवाई योजना के अंतर्गत बंद/समाप्त किए गए कनेक्शनों की राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार और वर्ष-वार संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-फरवरी 2025)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	16	3	1	17	11
आंध्र प्रदेश	318	123	55	66	33	126
अरुणाचल प्रदेश	1	29	40	2	2	4
असम	2283	831	681	708	937	539
बिहार	11819	11340	2888	2608	1242	3223
चंडीगढ़	0	1	0	0	0	0
छत्तीसगढ	1215	791	281	503	133	576
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	894	499	75	779	175	90
गोवा	0	1	0	0	1	0
गुजरात	2055	1779	975	1186	839	745
हरियाणा	4344	3911	1626	739	332	293
हिमाचल प्रदेश	54	32	52	73	82	151
जम्मू और कश्मीर	299	947	164	1121	287	330
झारखंड	2186	1826	473	2115	403	704
कर्नाटक	6306	3568	487	824	1367	1182
केरल	591	137	100	25	22	77
लद्दाख	0	10	1	6	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	9926	10032	1614	1670	666	767
महाराष्ट्र	7368	8346	2786	2963	1702	2051
मणिपुर	174	78	4	6	0	225
मेघालय	84	4	13	4	79	3
मिजोरम	0	1	1	0	0	1
नगालैंड	7	4	1	1	1	8
ओडिशा	1517	3622	1037	965	579	886
पुडुचेरी	5	6	2	1	2	1
पंजाब	2924	2820	772	434	344	282
राजस्थान	9341	8487	1899	2059	1671	2408
सिक्किम	0	0	2	0	0	77
तमिलनाडु	1547	3913	783	918	608	886
तेलंगाना	1885	910	122	206	131	134
त्रिपुरा	0	81	3	0	0	45
उत्तर प्रदेश	44235	18092	11905	9817	2386	2192
उत्तराखंड	2281	1284	229	209	120	227
पश्चिम बंगाल	17764	4814	1392	2864	852	777

स्रोत:उद्योग आधार पर आईओसीएल

****